

जन सूचना अधिकरी कम निदेशक,
खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
हरियाणा।

विषय- आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के तहत सूचना बारे।

श्रीमान जी,

मुझे आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना प्रदान कि जाए। मांगी गई सूचना कि अवधि 1 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2017 तक।

1. आपके विभाग में Computer Operator /Data entry operator / Junior Programmer/ Programmer के कितने पद स्थाई और अस्थाई स्वीकृत (Permanent or Temporary Sanction) है। post wise अलग - अलग बताएं।
2. Operator /Data entry operator / Junior Programmer/ Programmer के Sanctioned पदों के Sanctioned order or Latter कि सत्यापित प्रति ई-मेल द्वारा दि जाए।
3. आपके विभाग में लगाए गए Computer Operator /Data entry operator / Junior Programmer/ Programmer को सैलरी किस Head of Account (Major or Minor Head) से मिलती है। Head of Account का नाम Post wise अलग - अलग बताएं।
4. आपके विभाग में कितने Computer Operator /Data entry operator / Junior Programmer/ Programmer भर्ती/नियुक्त/लगाए गए है, सभी का विवरण Annexure-1 में दे।

सूचना निर्धारित समय अवधि में दी जाए।

Suresh

प्रार्थी हस्ताक्षर
सुरेश कुमार पूत्र लखमीचन्द
गांव मंदोली, डा0 कलीयाना
तह0 व जिला च0 दादरी,
हरियाणा - 127306

Urgent
2/13

SAJ



सं.- 25(52)/2016/RTI/74

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन- 2570541, 542

फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 07.4.2017

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री लखमीचंद,
गाँव मंदोली, डाकघर कलीयाना,
तहसील व जिला च. दादरी,
हरियाणा -127306

जारी

संख्या 622+623

दिनांक 11-4-2017 बी.के.सी.सी.

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग श. प्र. के पत्र संख्या I-12011/1/2017- श. प्र. दिनांक 22.3.2017 का सन्दर्भ लें, जिसमें आपके द्वारा संस्थान से सम्बंधित जानकारी वाँछित है के सम्बन्ध में सूचना बिंदुवार निम्नवत है-

1. संस्थान में Computer Operator / Data Entry Operator/ Junior Programmer/ Programmer के कोई भी पद स्वीकृत नहीं हैं।
2. संस्थान में इस प्रकार के कोई भी पद स्वीकृत नहीं है अतः इनके Sanction order/ Letter की सत्यापित प्रति नहीं भेजी जा सकती है।
3. लागू नहीं होता है।
4. लागू नहीं होता है।

इसके साथ ही आपको आपके द्वारा वाँछित सूचना प्रस्तुत प्रोफॉर्मा में दी जा रही है।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अन्तर्गत दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री नरेन्द्र मोहन,


निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

कानपुर- 208017

भवदीय


(जितेंद्र सिंह)

स. आ. श. प्रौ.,

वरि. प्रशा. अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी



संलग्नक- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

✓ श्री राकेश कुमार (अवर सचिव) भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, शर्करा प्रशासन अनुभाग, नई दिल्ली-110001